समाचार.प्रकाषनार्थरू.

सीवरेज ट्रीटेड वाटर का रियूज कर भू.जल स्तर बचायें
ट्रीटेड वॉटर की दरें हुई निर्धारित
ट्यूबवेल के पानी का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम 26 फरवरी । नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर निर्माण कार्यए उद्यानों.खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यो में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम षहर में अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड पर 4ण्50 एमएलडी व खेतलपुर में 3ण्35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना प्रारंभ हो चुका है। इसके विक्रय हेतु नगर निगम द्वारा दरें निर्धारित की गई है जिसके तहत 50६ प्रति किलोलीटरए 3000 क्षमता टैंकर 150६ ए 4000 क्षमता टैंकर 200६ए 5000 क्षमता टैंकर 250६ए 12000 क्षमता टैंकर 600६ए 24000 क्षमता टैंकर 1200६ है। नागरिक भवन व अन्य निर्माण कार्योए खेतों व बगीचों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए रियायती दर पर नगर निगम के एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड वॉटर क्रय कर सकतें है जिससे राषि की बचत होने के साथ ही भू.जलस्तर भी बना रहेगा। षहर में निजी ट्यूबवेलों से टैंकरो द्वारा पानी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ट्यूबवेल मालिक निर्माण कार्यो एवं सिंचाई हेतु पानी का विक्रय ना करें अन्यथा की दषा में वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी।

सिटी ब्यूटीफिकेषन के कार्य में ओर अधिक गति लायें
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देष

रतलाम 26 फरवरी । स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर सॉलिड वेस्टए सिटी

ब्यूटीफिकेषनए ट्रीटेड वॉटर के रियूजए पॉलीथीन प्रतिबंध किये जाने के निर्देष संबंधितों को दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया सड़कों से सॉलिड वेस्ट उठानेए सड़कों की साईडों व डिवाईडरों से धूल व घांस.फुस हटाने का कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाये।

षासन निर्देषानुसार 1 से 5 मार्च तक चलाये जाने वाले अंकूर अभियान के तहत पौधारोपण की कार्ययोजना 2 दिवस में तैयार करनेए नगर के प्रत्येक वार्ड के एक.एक स्थान पर ब्यूटीफिकेषन के कार्य तेजी लाने के निर्देष के साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान में तेजी लाने के निर्देष निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधितों को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में ट्यूबवेलों का व्यावसायिक उपयोग करने वालो का सर्वे 3 दिवस में पूर्ण करनेए स्वच्छता एप पर प्राप्त षिकायतों का समय.सीमा मे निराकरण करनेए खाली प्लाट के स्वामियों को नोटिस जारी करने निर्देष दिये।

आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाष आचार्यए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए ब्रजेष कुषवाहए राजेष पाटीदारए मनीश तिवारीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

ट्रीटेड वॉटर का निर्माण कार्यो में उपयोग कर भू.जल स्तर का बचायें

10ण्80 लाख लीटर ट्रीटेड वॉटर का हुआ रियूज

रतलाम 25 फरवरी । सीवरेज योजना के करमदी व खेतलपुर एसटीपी प्लांट में सीवरेज वॉटर को ट्रीटेड किया जाकर नगर निगम द्वारा उसका रियूज किया जा रहा है जिसके तहत 8 दिनों में करमदी एसटीपी प्लांट से 5ण्30 लाख व खेतलपुर

एसटीपी प्लांट से 5ण्50 लाख लीटर पानी का रियूज करते हुए नगर निगम के उद्यानों में सिंचाईए आग बुझाने हेतु फायर लॉरी मेंए वाहनों की धुलाईए रोड डिवाईडरों की सफाई व डिवाईडर में लगे पौधो में सिंचाई के कार्य में उपयोग लिया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सिविल कार्य के ठेकेदारए भवन निर्माण करने वाले नागरिक आदि से अपील की है कि वे भवन निर्माण कार्य में ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए नगर निगम के खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट से 50₹ प्रति किलोलीटर के मान से ट्रीटेड वॉटर क्रय करके भवन का निर्माण करें जिससे ट्रीटेड वॉटर का रियूज हो सकें व भू.जल स्तर को भी बचाया जा सकें।

नेषनल लोक अदालत का 12 मार्च षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राषि जमा करने पर अधिभार ;सरचार्जद्ध की राषि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 26 फरवरी । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000₹ ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें

कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12ध्03ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

26 फरवरी को 85 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 26 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा

रहा है जिसके तहत 26 फरवरी षुक्रवार को 85 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

26 फरवरी षुक्रवार को डम्पर से 29855ए टेªक्टर से 20695ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 10555ए काम्पेक्टर गीला कचरा 11905ए मैजिक सूखा कचरा 6295ए मैजिक गीला कचरा 5920 किलो इस तरह कुल 85225 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

10 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 26 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 8 व दोपहर में 2 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

26 फरवरी षनिवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में षांतिबाई पति सुरेषए विजय.फुलचन्दए विक्की.दिनेषए तुफान.बाबुलालए मनीश.ष्यामलालए झोन क्रमांक 2 में राहूल.राजेन्द्रए झोन क्रमांक 4 में बंषी. भेरूलालए लताबाई पति बंषीलाल। दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 4 में राकेष .लड्डू व आनन्द.भागीरथ इस तरह 10 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य

स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रीकालिन सफाई के 9 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा
सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र
तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 26 फरवरी । षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़केए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 9 सफाई मित्रो द्वारा 25 फरवरी षुक्रवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 26 फरवरी षुक्रवार को विकास.किषोरए अमन.रमेषए संजय.पवनए प्रदीप.विजयए रवि.मासुमए सुनील.रतनए संदीप.संजयए षेखर.मदन व आनन्द.बाबुलाल बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

पषु वाहन के 4 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा
रतलाम 26 फरवरी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा पषु विचरण करते पाये जाने

व पषु वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्‌वारा आवारा पषुओं को कहीं भी पकड़ते हुए नहीं पाये जाने पर नियुक्त कर्मचारी चरणसिंह.भारतसिंहए मेहफुज.कालेखांए रामा व पूनमचन्द.रतन का एक दिवस का वेतन काटा गया। इसके अलावा माणक चौक वाचनालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मनोज कुमार जैन द्‌वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 दुकानदारों पर जुर्माना
100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 26 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
अभियान के तहत 26 फरवरी को पटेल दूध भण्डार रानीजी का मंदिर पर 1000ए सागर नमकीन रानीजी का मंदिरए श्रीराम प्लास्टिकए नाकोड़ा प्लास्टिकए सागर डिस्पोजल व श्रीजी डिस्पोजल नाहरपुरा पर 500.500 रूपये का जुर्माना कर 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग ना करने की समझाईष दी।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज

प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 26 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जा ा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान

तथा लायसेंस नवीनीकरण हे‍ेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दो बत्ती पर सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 89ण्59 लाख व जलकर 23ण्42 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 26 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर

में संपत्तिकर 2ए51ए600६. व जलकर 1ए04ए640६.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६. व जलकर 1ए21ए090६.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६. व जलकर 47ए000६.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६. व जलकर 83ए700६.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६. व जलकर 27ए540६.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६. व जलकर 40ए240६.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६. व जलकर 31ए760६.ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६. व जलकर 72ए440६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६. व जलकर 37ए465६.ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६. व जलकर 36ए660६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६. व जलकर 92ए125६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६. व जलकर 64ए770६.ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६. व जलकर 28ए140६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६. व जलकर 1ए56ए600६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६. व जलकर 1ए67ए280६.ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६. व जलकर 76ए625६.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६. व जलकर 37ए520६.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६. व जलकर 72ए860६.ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741६. व जलकर 37ए140६. पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६. व जलकर 89ए570६.ए चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91ए157६. व जलकर 46ए510६.ए सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036६. व जलकर 1ए05ए060६.ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 5ए20ए421६. व जलकर 1ए62ए610६.ए बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर 3ए19ए606६. व जलकर 98ए030६.ए षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर 4ए48ए489६. व जलकर 1ए10ए940६.ए दो बत्ती षिविर में संपत्तिकर 55ए362६. व जलकर 1ए17ए915६. की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च

तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 26 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति

या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 26 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध्. तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध्. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 26 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 26 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 26 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मं े वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 26 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्26ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्